न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
08/2014	दावा 88, 188 RTA	05.02.2014	16.01.2019

गोपालसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी खण्डवा तहसील व जिला चूरू
–वादी–

बनाम

1. नाहरसिंह दत्तक पुत्र भोपालसिंह
2. शिवपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. शंकरसिंह पुत्र करणीसिंह
4. मदनसिंह पुत्र भवानीसिंह
5. महावीरसिंह पुत्र भवानीसिंह
6. रणवीरसिंह पुत्र भवानीसिंह
7. बजरंगसिंह दत्तक पुत्र श्योदयालसिंह
8. सायरकंवर बेवा भवानीसिंह
9. सुमनकंवर बेवा करणीसिंह

जाति राजपूत निवासीगण हिंगोनिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राज.)

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री बजरंगलाल शर्मा वादी
2. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत प्रतिवादी सं. 1 व 7

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वादी की पारिवारिक खातेदारी कब्जा, उपयोग व उपभोग की कृषि भूमियां खण्डवा पट्टा चूरू में अवस्थित हैं जिनको वादी अपने पिता मालसिंह के जीवनकाल से ही उनके शामिल शरीक रहकर काश्त करता चला आया तथा अपने पिता की मृत्यु के बाद अकेला बहैसियत मालिक व स्वामी काश्त करता चला आ रहा है जिसमें से कृषि भूमि ख.नं. 759/374 व 435 कुल रकबा 23 बीघा 3 विश्वा रोही खण्डवा पट्टा चूरू तो वादी की खातेदारी में दर्ज है मगर खेत ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा वाके रोही खण्डवा वादी के एकमात्र कब्जा, उपयोग व उपभोग में चला आ रहा है जिसे पहले वादी अपने पिता के साथ तथा अब अकेला अपने कब्जा, उपयोग व उपभोग में लेता चला आया है। यहां यह अंकित कर देना भी उचित होगा कि वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. साबिक 139 मिन जिसके हाल ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत

उपखण्ड अधिकारी

ख.नं. 759/374 व 435 के उत्तर की तरफ चिपता हुआ स्थित है तथा इन दोनों कृषि भूमियों के बीच कोई सींव मौजूद नहीं है बल्कि समस्त कृषि भूमि एक सालम खेत के रूप में मौजूद है। वादगत कृषि भूमि में वादी की ढाणी बनी हुई है, जिसमें एक पक्का कमरा व एक झोंपड़ा वादी के बनाये हुए मौजूद हैं जिनमें वादी सपरिवार रिहायश करता है। यह कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 तथा 7 के पूर्वज गांव खण्डवा पट्टा चूरू के जागीरदार थे जो काफी समय पहले गांव खण्डवा पट्टा चूरू को छोड़कर गांव हिंगोनिया तहसील फुलेरा जिला जयपुर में जाकर रहने लग गये थे। प्रतिवादीगण सं. 1, 2 व 7 के पूर्वज चूंकि गांव खण्डवा पट्टा चूरू के जागीरदार रहे हैं इस कारण वादगत कृषि भूमि ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू में उनका नाम तकमीलन राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, जबकि वास्तविकता कब्जा, उपयोग व उपभोग तथा काश्त वादी व उसके पिता की लगातार चली आई है तथा अपने पिता की मृत्यु के बाद वादी अकेला वादगत कृषि भूमि को अपने कब्जा, काश्त व उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 ने कभी भी वादगत कृषि भूमि को काश्त नहीं किया न कभी उनका कोई कब्जा उपयोग व उपभोग रह सकता था क्योंकि वादी की याददाश्त में प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 व उनके पूर्वज कभी गांव खण्डवा पट्टा चूरू में नहीं रहे हैं।

यह कि वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. साबिका 139 मिन हाल ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू है सदामत से वादी व उसके पिता के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में चली आई है जिसका अंकन वादगत कृषि भूमि की जमाबन्दी व गिरदावरी में समय समय पर अंकित होता चला आया है जो वादगत कृषि भूमि वादी व उसके पिता की एकमात्र कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग की कृषि भूमि रही होने के पुख्ता सबूत हैं। उक्त राजस्व रिकार्ड के मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के मुताबिक पहले ही काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के ताबे वादगत कृषि भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज कर दी जानी चाहिए थी मगर प्रतिवादीगण सं. 1, 2 व 7 तथा उनके पूर्वजों का नाम वादगत भूमि की खातेदारी में तकमीलन दर्ज चला आने के कारण वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह वादगत कृषि भूमि ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि होना घोषित करवा लेवे। यह कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू वादी के एकमात्र कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग की कृषि भूमि है जिसमें वादी की रिहायश ढाणी बनी हुई है जहां वादी अपने परिवार सहित रिहायश करता है तथा वादगत कृषि भूमि व वादी की वर्तमान में खातेदारी में अंकित खेत ख.नं. 759/374 व 435 की कृषि भूमियां मौके पर एक सालम खेत के रूप में मौजूद हैं जिनके चारों तरफ सींव मौजूद है जिस सींव पर मुराली, कन्केड़ा, रोहिड़ा, कीकर व खेजड़ी के बड़े बड़े पेड़ मौजूद हैं जो वादी की कब्जा उपयोग व उपभोग की कृषि भूमि की अपनी अलग पहचान बनाते हैं मगर चूकि वादगत कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं. 1, 2 व 7 तथा उनके अन्य मृतक परिवारजनों की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसके कारण प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 के मन में लालच आ गया है तथा वे सभी वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा रोही गांव

उपखण्ड अधिकारी

खण्डवा पट्टा चूरू अन्य व्यक्ति को रहन, बैय कर देना चाहते हैं जिसका कि उन्हें कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 437 तादादी 12 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू को अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि होना घोषित करवा लेवे तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 को जरिए चिर स्थाई निषेधाज्ञा वादगत कृषि भूमि किसी अन्य को रहन अथवा बैय नहीं करने हेतु वर्जित करवा लेवे जिसके लिए यह वादपत्र पेश किया जा रहा है।

यह कि वादगत कृषि भूमि वादी के एकमात्र कब्जा उपयोग व उपभोग में चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 का वादगत कृषि भूमियों से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ऐसी स्थिति में चिर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु आवश्यक तीनों सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में साबित शुदा हैं। यह कि मौजूदा समय में वादगत कृषि भूमियों की खातेदारी में अंकित करणीसिंह, भवानीसिंह व हनुमानसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनमें से हनुमानसिंह कुंआरा लावल्द फौत हुआ है तथा मृतक भवानीसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 4, 5, 6 तथा 8 एवम् करणीसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 3 व 9 को दावा हाजा में बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार दावा संयोजित किया गया है। यह कि वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 को कहा व कहलवाया कि वे साथ चलकर वादगत कृषि भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज करवा देवें, पहले तो प्रतिवादीगण तमाम टालमटोल करते रहे एवम् आखिरकार दिनांक 31.01.14 को ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यही तारीख बिनाय मुखास्मत दावा है तथा बिनाय दावा वादी को वादगत कृषि भूमि सके सदामत से कब्जा उपयोग व उपभोग की रही होने से हर वक्त प्राप्त है।

यह कि वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में अवस्थित होने की वंजह से अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त हैं तथा दावा हाजा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि राजस्थान सरकार भूमिधारी हैतथा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना है इसलिए राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार साहब चूरू को दावा में तरतीबी फरीक बनाया गया है। दावा हाजा का तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक है इसलिए दावा हाजा धारा 80 (2) सी.पी.सी. की पूर्व अनुमति के साथ पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी सं. 10 के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः दावा वादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे:-

(क) घोषित किया जावे कि वादी कृषि भूमि ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू का खातेदार व काश्तकार है।

(ख) प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 को जरिए चिर स्थाई निषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वे वादगत कृषि भूमि का रहन व बैय किसी अन्य व्यक्ति के हक में ना करें

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तथा ना ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे वादी के हक हकूक पर विपरीत असर पड़े।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य हर न्यायोचित सहायता जिसे प्राप्त करने का वादी अधिकारी है, दिलवाई जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई परन्तु तलबी नहीं हो पाई जिस पर वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये अखबार साया करवाने का निवेदन किया। वकील वादी ने अखबारी सम्मन पेश किया जो दिनांक 30.07.2015 को जारी किया गया। वकील वादी ने तलबी अखबार दैनिक भास्कर दिनांक 01.08.2015 की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 7 की ओर से श्री भंवरसिंह शेखावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अखबार के अवलोकन से समस्त प्रतिवादीगण पर तलबी होना पाया गया जिनको न्यायालय समय में बार बार आवाजें लगाई गई परन्तु प्रतिवादी सं. 2 से 6 व 8, 9 उपस्थित नहीं हुए जिससे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 7 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया जिसकी प्रति वकील वादी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 व 7 ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम में अंकित किया कि मद सं. 1 अर्जीदावा सर्वथा गलत लिखा गया है स्वीकार नहीं है अस्वीकार किया जाता है। इस मद में खेत ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा वाके रोही खण्डवा वादी के कब्जा उपयोग उपभोग में आना वा पहले अपने पिता के साथ इस भूमि पर कब्जा काश्त होना बिल्कुल गलत लिखा गया है वादगत कृषि भूमि से वादी का कोई लेना देना है ना वादी का कब्जा है ना ही उसका किसी प्रकार से उपयोग उपभोग है इस मद में एक पक्का कमरा वा झोपड़ा वादी के बनाये होना गलत लिखे गए हैं। मद सं 2 अर्जीदावा बिल्कुल गलत लिखा गया है स्वीकार नही है अस्वीकार किया जाता है इस मद में वादगत कृषि भूमि में प्रतिवादीगण का नाम तकमीलन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आना वा वास्तविक कब्जा उपयोग उपभोग वादी वा उसके पिता का होना बिल्कुल गलत लिखा गया है यह सही है कि हम प्रतिवादीगण ग्राम हिंगोनिया जिला जयपुर में रहते है मगर गांव खंडवा पट्टा चूरू में स्थित अपने खेतों वा जायदाद की काश्त करना वा करवाना आदि कार्य प्रतिवादीगण करते चले आ रहे हैं। मद सं. 3 अर्जीदावा सर्वथा गलत लिखा गया है स्वीकार नहीं है अस्वीकार किया जाता है कृषि भूमि साबिक ख. नं. 139 मिन हाल ख.नं. 437 सदामत से वादी वा उसके पिता के कब्जा काश्त में आना वा गिरदावरी जमाबंदी में वादी का नाम आना गलत लिखा गया है। सही तथ्य यह है कि वादगत कृषि भूमि दिनांक 24.4.13 को वादी गोपालसिंह को एक वर्ष के लिए काश्त पर दिया गया था उसके बाद वादी के मन में लालच आ गया तथा वह तंग परेशान करने के लिए झूठे तथ्यों पर यह दावा पेश किया है। वादी गोपालसिंह ने दिनांक 24.4.13 को लिखित में इकरारनामा प्रतिवादीगण के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

लिखवाकर अपने हस्ताक्षर करके प्रतिवादीगण को दे दिया था और इस खेत को एक वर्ष के लिए काश्त किया था उक्त इकरारनामा में गोपालसिंह ने प्रतिवादीगण की भूमि होना स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में उसी भूमि को गलत रूप से अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का यह झूठा दावा पेश किया है। मद सं. 4 अर्जीदावा गलत लिखा गया है स्वीकार नही है अस्वीकार किया जाता है। इस मद में खसरा नं. 759/374 वा 435 की कृषि भूमियां वादगत कृषि भूमि के साथ सालम खेत के रूप में मौजूद होना गलत लिखा गया है सही तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण का खसरा नं. अलग है तथा नक्शे में भी अलग से अंकित किया हुआ है वादी का वादगत कृषि भूमि में कोई हक अधिकार वा कब्जा काश्त नही है इसलिए वादी इस भूमि की खातेदारी घोषित करवाने वा चिरस्थाई निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति हेतु किसी प्रकार से हकदार नहीं है।

मद सं. 5 अर्जीदावा गलत लिखा गया होने से स्वीकार नहीं है अस्वीकार किया जाता है वादगत कृषि भूमि से वादी का कोई संबंध सरोकार नहीं है ऐसी स्थिति में वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु कोई भी बिन्दू पक्ष में नहीं है। मद सं. 6 अर्जीदावा करणीसिंह भवानीसिंह वा हनुमानसिंह की मृत्यु होना सही लिखा गया है मगर उक्त तीनों के सभी वारिसान को दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए दावा नान ज्योइंडर आफ नेसेशरी पार्टीस के नुक्श में खारिज किए जाने योग्य है। मद सं. 7 अर्जीदावा गलत लिखा गया है स्वीकार नहीं है अस्वीकार किया जाता है इस मद में लिखे अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण को कभी नहीं कहा, ना ही वह कहने का हकदार है विनाय मुखास्मत वा विनाय दावा प्राप्त नहीं है दावा झूठे तथ्यों पर होने के कारण खारिज करने के काबिल है। मद सं. 8 अर्जीदावा कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। मद सं. 9 अर्जीदावा का संबंध हम प्रतिवादीगण से नहीं है इसलिए जवाब की आवश्यकता नहीं है। अंतिम मद बिना नंबरी मय उपमदात क से घ हम प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है अस्वीकार किया जाता है। वादगत कृषि भूमि हम प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से हमारे कब्जे काश्त वा खातेदारी में चली आ रही है जिसमें वादी या उसके पिता का कोई हक अधिकार नहीं रहा है। दावा वादी मय खर्चा खारिज किए जाने योग्य है।

प्रतिवादीगण ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि वादगत कृषि भूमि जागीरदारी के समय से ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त वा खातेदारी मे चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण वर्तमान में कुछ वर्षो से ग्राम हिंगोनिया जिला जयपुर में रहने लग गए हैं तथा गांव खंडवा पट्टा चूरू स्थित अपनी कृषि भूमियों को काश्त करते करवाते चले आ रहे हैं। वादी को एक वर्ष के लिए उक्त भूमि दिनांक 24.04.13 को रूपये 3600/ में काश्त के लिए दी थी जिस वजह से वादी के मन में लालच आ गया है और लालच वश वादी ने यह झूठा दावा पेश किया है। यह कि वादी गोपालसिंह ने स्वयं ने दिनांक 24.04.13 को एक साल फसल खरीफ के लिए उक्त भूमि रकम पर ली थी तथा इकरारनामा प्रतिवादीगण के पक्ष में तहरीर करवाकर अपने हस्ताक्षर करके यह स्वीकार किया है कि वादगत कृषि भूमि प्रतिवादीगण के ही कब्जे काश्त वा खातेदारी की है ऐसी

उपखण्ड अधिकारी

सूरत में दावा में अंकित तमाम तथ्य झूठे साबित हो जाते हैं। इस प्रकार से भी दावा वादी खारिज करने के काबिल है। यह कि वादी ने सिर्फ कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही है जबकि वादी का इस भूमि पर कोई कब्जा नहीं है ना ही कब्जे के आधार पर खातेदारी दी जा सकती है इस प्रकार से दावा वादी खारिज करने के काबिल है।

प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम में अंकित किया कि कृषि भूमि ख.नं. 437 तादादी 12 बीघा वाके रोही खंडवा पट्टा चूरू प्रतिवादीगण के खातेदारी वा कब्जा काश्त की है वादी का खेत इस खेत के चिपता स्थित है तथा वादी ने एक साल के लिए दिनांक 24.04.13 को काश्त के लिए लिया था तभी से उनके मन में लालच आ गया है तथा वादी बलपूर्वक प्रतिवादीगण को वादगत कृषि भूमि काश्त करने से रोकने के प्रयास में है तथा उन्होंने एलानिया धमकी दी है कि खेत को हम काश्त नहीं करने देंगे जबकि वादी का इस कृषि भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि जरिए चिरस्थाई निषेधाज्ञा वादी को वर्जित करावे कि वादगत खेत प्रतिवादीगण को काश्त करने से ना रोके, ना प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करें जिसके लिए यह काउन्टर क्लेम पेश किया जा रहा है। यह कि प्रतिवादीगण ने वादी को कहा वा कहलावाया कि वादगत खेत को काश्त करने में प्रतिवादीगण को मदाखलत बेजा ना करें मगर वादी दिनांक 18.10.15 को ऐसा करने से इंकार हो गए लिहाजा प्रतिवादीगण को वादी के विरूद्ध विनाय मुखास्मत दावा प्राप्त है तथा विनाय दावा प्रतिवादीगण को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से भी प्राप्त है।

अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावे वा प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार करते हुए वादी को वर्जित किया जावे कि कृषि भूमि ख.नं. 437 तादादी 12 बीघा रोही खंडवा पट्टा चूरू को प्रतिवादीगण को काश्त करने से ना रोके, ना कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करें ना ही प्रतिवादीगण के काश्तकारों को ऐसा करने से रोके।

प्रतिवादीगण के जवाबदावा व काउन्टर क्लेम का जवाब वादी की तरफ से पेश कर अंकित किया कि मद सं. 1 जवाबदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। खेत ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा वाके रोही खण्डवा वादी व उसके पिता के सदामत के कब्जा उपयोग व उपभोग का है। यह कि मद सं. 2 जवाबदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नहीं, अस्वीकार किये जाते हैं। प्रतिवार्द उत्तरदातागण स्थाई रूप से गांव हिंगोनिया में रहते है तथा गांव खण्डवा पट्टा चूरू से उन्होने अपना संबंध पूर्ण रूप से विच्छेद कर रखा है उनका खण्डवा आना जाना कभी नहीं रहता। यह कि मद सं. 3 जवाब दावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। कृषि भूमि ख.नं. साबिक 139 मिन वर्तमान ख.नं. 437 सदामत से वादी व उसके परिवार की कब्जा उपयोग उपभोग की रही है तथा वादी के पिता का नाम काश्तकार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में सही दर्ज चला आया है। इस मद में वादी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादीगण के हक में दि. 24.04.13 को इकरारनामा लिखना कतई गलत अंकित किया गया है। यह कि मद सं. 4 जवाबदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। ख.नं. 759/374 व ख.नं. 435 की कृषि भूमियां ख.नं. 437 के ठीक चिपती हुई है तथा सारी कृषि भूमि एक सालम खेत के रूप में मौजूद है वादी की खातेदारी में दर्ज अन्य कृषि भूमियों व ख.नं. 437 के बीच कोई सींव नहीं है वादगत कृषि भूमियों में वादी की रिहायशी ढ़ाणी बनी हुई है। यह कि मद सं. 5 जवाबदावा के तथ्य गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। यह कि मद सं. 6 जवाबदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते है। वादी ने अपनी जानकारी में मृतक खातेदारान के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया है इस मद में प्रतिवादीगण ने किसी मृतक के वारिस के नाम का खुलासा अंकन नहीं किया है। यह कि मद सं. 7 जवाबदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं गलत लिखे होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। वादी को बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत विधिवत रूप से हासिल है। यह कि मद सं. 8, 9 व 10 जवाबदावा के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। वादी को अपने दावा में वर्णित अनुतोष अदालतवाला से प्राप्त करने के सभी हक कानूनी रूप से हासिल हैं। दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है। यह कि विशेष कथन की मद सं. 11 के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 24.04.13 को कोई लिखावट करके नहीं दी। सही तथ्य यह है कि वादगत कृषि भूमि वादी व उसके पिता की सदामत के कब्जा उपयोग उपभोग की कृषि भूमि है। यह कि मद सं. 12 विशेष कथन के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। इस मद में प्रतिवादीगण ने उपर की मद में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की है। यह कि मद सं. 13 विशेष कथन के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। वादी ने वादगत कृषि भूमि पर अपने व अपने पिता के पुराने कब्जा काश्त तथा अपने पिता की कब्जा काश्त का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आने तथा कब्जा काश्त लगातार चली आने की बिनाय पर दावा हाजा पेश किया है।

यह कि काउन्टर क्लेम की मद सं. 14 के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये हैं स्वीकार नहीं अस्वीकार किये जाते हैं। वादगत कृषि भूमि व वादी की खातेदारी में अंकित अन्य कृषि भूमियां मौका पर एक सालम खेत के रूप में मौजूद हैं जिनके बीच में कोई सीमा नहीं है इस मद में वादी द्वारा जिस लिखावट दि. 24.04.13 का कथन किया है उक्त लिखावट प्रतिवादी उत्तरदातागण ने गलत रूप से तैयार की है जिसका सच्चाई व वास्तविकता से कोई संबंध सरोकार नहीं है वादगत कृषि भूमि खेत ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा वाके रोही खण्डवा सदामत से वादी के पिता व उनकी मृत्यु के बाद वादी के एक मात्र कब्जा काश्त का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होता चला आया है। प्रतिवादीगण वादी के खिलाफ कोई चिर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यह कि मद सं. 15 काउण्टर क्लेम के तथ्य जिस प्रकार से लिखे गये है स्वीकार नही अस्वीकार किये जाते है। प्रतिवादीगण को वादी के खिलाफ अपने काउण्टर क्लेम के लिये कोई बिनाय

उपखण्ड अधिकारी

दावा अथवा बिनाय मुखास्मत हासिल नहीं है वादी ने अपना वाद पत्र सही व वास्तविक तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अतः जवाब काउण्टर क्लेम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे तथा दावा वादी डिक्री फरमाया जावे।

जवाबदावा व काउण्टर क्लेम का जवाब पेश होने पर विवाद बिन्दुओं के निस्तारण हेतु दावा में निम्नांकित तनकियात कायम की गईः–

1. आया घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख.नं. 437 तादादी 12.00 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू का वादी खातेदार काश्तकार है ?

–जिम्मे वादी–

2. आया प्रतिवादी सं. 1 से 9 को जरिये चिरस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वे वादगत भूमि को किसी अन्य को रहन, बैय व हस्तान्तरण नहीं करें ?

–जिम्मे वादी–

3. आया वादगत भूमि के सभी हितबद्ध पक्षकार को पार्टी नहीं बनाया जाने से दावा नॉन ज्योईन्डर ऑफ नेशेसरी पार्टीज के नुक्श में खारिज योग्य है ?

– जिम्मे प्रतिवादीगण–

4. आया वादगत भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त व खातेदारी की होने से दावा वादी काबिल खारिज है ?

– जिम्मे प्रतिवादीगण–

5. अन्य अनुतोष, ।

दावा में तनकियात कायम की जाकर उभयपक्ष को समझाईश की गई एवं पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में गवाहों के बयान शपथ पत्र PW-1 से PW-4 पेश किये गये। जिनसे जिरह वकील प्रतिवादी सं. 1 व 7 द्वारा की गई। वकील वादी वे अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, का कथन करने पर वादी रिबीटल रिजर्व रखते हुए साक्ष्यवादी समाप्त की गई एवं पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी हेतु काफी अवसर प्रदान किये गये परन्तु साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर अन्ततः प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष को बहस हेतु कहा गया। वकील प्रतिवादी ने बहस नहीं करते हुए अंकित किया कि काफी अर्सा से पक्षकार सम्पर्क में नहीं है, अतः हिदायत पैरवी नहीं है। जिस पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपने बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि ख.नं. 437 रकबा 12 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू में स्थित है जिसकी कब्जा काश्त अपने पिता के समय से ही वादी की रही है। उक्त वादगत कृषि भूमि के चिपते ही वादी की स्वयं की खातेदारी की 23 बीघा 3 विश्वा भूमि स्थित है। दोनों कृषि भूमियां एक सालम खेत के रूप में स्थित हैं। उक्त वादगत कृषि भूमि में वादी की रिहायशी ढाणी व कुण्ड बनी हुई है तथा वादी परिवार सहित निवास करता है। वादगत कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पर जागीरदारी के समय वादी के पिता मालजी काश्त करते थे एवं अब वादी काश्त करता है। इस प्रकार वादी की उत्तराधिकारी काश्त रही है। वादी का सतत कब्जा चला आ रहा है जिसका खण्डन प्रतिवादीगण ने नहीं किया है। भू–प्रबन्ध के समय उक्त वादगत कृषि भूमि का अंकन खातेदारी में नहीं हो सका। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी घोषित की जावे।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू के ख.नं. 437 तादादी 12 बीघा में वर्तमान में नाहरसिंह दत्तक पुत्र भोपालसिंह 1/4 हि. करणीसिंह शिवचरणसिंह भवानीसिंह हनुमानसिंह पि. कल्याणसिंह ब.हि.ब. 12/20 हि. सा.देह बजरंगसिंह दत्तक पुत्र श्योदयालसिंह सा. हिंगोनिया 3/20 हि. जाति राजपूत सा.देह खातेदार अंकित हैं। प्रदर्श–2 वादगत ख.नं. 437 की नकल अक्स है। प्रदर्श–3 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू से वादगत कृषि भूमि के साबिक ख.नं. 139 मि. से वर्तमान ख.नं. 437 बना होना दर्शित है। प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 ख.नं. 327/139 तादादी 12 बीघा में भोपालसिंह वल्द गुमानसिंह 1/4 हिस्सा श्योदयालसिंह करणीसिंह शिवचरणसिंह भवानीसिंह हनुमानसिंह पिसरान कल्याणसिंह बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा कौम राजपूत सा.देह खातेदार व मालजी वल्द मानजी कौम दरोगा सा.देह उप कृषक अंकित हैं। प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017 ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू ख.नं. 139 तादादी 59 बीघा 4 विश्वा में भोपालसिंह वल्द गुमानसिंह 1/4 हिस्सा व कल्याणसिंह वल्द भूरसिंह 3/4 हिस्सा कौम राजपूत बणीरोत सा.देह खातेदार व उपकृषक हीरा वल्द पूर्णगिरी कौम गोसांई सं. 2009 अंकित हैं। उक्त गिरदावरी के विशेष विवरण के कॉलम सं. 16, 24, 32 व 40 में 47 बीघा 4 विश्वा पर हीरागिरी एवं 12 बीघा पर मालजी वल्द चिमनजी दरोगा की काश्त अंकित हैं। प्रदर्श–6 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022 से 2025 ख.नं. 327/139 तादादी 12 बीघा में भोपालसिंह वल्द गुमानसिंह 1/4 हि. श्योदयालसिंह करणीसिंह शिवचरणसिंह भवानीसिंह हनुमानसिंह पि. कल्याणसिंह बहिस्सा बराबर 3/4 हि. कौम राजपूत साकिनान देह खातेदार व मालजी वल्द मानजी कौम दरोगा उप कृषक अंकित है। प्रदर्श–7 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2021 ख.नं. 327/139 तादादी 12 बीघा में भोपालसिंह वल्द गुमानसिंह 1/4 हि. व कल्याणसिंह वल्द भूरसिंह 3/4 हिस्सा कौम राजपूत बणीरोत सा.देह खातेदार व मालजी वल्द चिमनजी दरोगा सा. देह उप कृषक अंकित हैं। बयान शपथ पत्र गोपालसिंह में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया है। वादी ने जिरह में कथन किया है कि ख.नं. 435 23 बीघा का है जिसकी खातेदारी मेरे नाम से है। ख.नं. 437 तादादी 12 बीघा का जिसकी खातेदारी किसके नाम है मुझे पता नहीं। उक्त वादगत 12 बीघा कृषि भूमि में किस प्रतिवादीगण का कितना कितना हिस्सा है मुझे पता नहीं, का कथन किया है। दावा में भवानीसिंह के जिन वारिसान को पक्षकार बनाया है वो सही हैं या गलत हैं मुझे पता नहीं। प्रतिवादीगण द्वारा बताई गई दिनांक 24.04.13 को लिखापढी कर ख.नं. 437 को वादी द्वारा काश्त करने हेतु लेने व इस लिखापढी पर अपने हस्ताक्षर होने से वादी ने अपने बयानों में इन्कार किया है। वादी ने

उपखण्ड अधिकारी

कथन किया है कि लिखापढी के साक्षियों हेतराम गुसांई, मनोहरसिंह, मकबूल मैं नहीं जानता। अज खुद कहा कि यह सभी मेरे गांव के निवासी हैं। बयानों में आगे अंकित कराया है कि ख.नं. 437 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम से है। नाहरसिंह एवं बजरंगसिंह के खातेदारी में 437 के अलावा भी जमीन है जो गांव के अगुणी तरफ है जिसको यह काश्त नहीं करते हैं ना ही गांव में निवास करते हैं। जयपुर नौकरी करते हैं। ख.नं. 437 की काश्त बाबत लिखत दिनांक 24.04.13 को लिखत दिनांक से आज तक किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है न ही मैंने इसे रद्द करवाया है। प्रतिवादी नाहरसिंह के पूर्वज गांव के तत्कालीन जागीरदार के 2012 की जमाबन्दी एवं गिरदावरी उनके नाम हो तो मुझे पता नहीं। मेरे पूर्वज चिमनसिंह मेरे दादाजी थे मेरे पिता का नाम मालसिंह है। साक्ष्यवादी नेताराम ने बयानों में कथन किया है कि हमारे खेत के उतरादी तरफ वादी गोपालसिंह का खेत है जिसके ख.नं. व रकबा मुझे पता नहीं। वादगत भूमि का रकबा 35 बीघा होने के बारे में मुझे वादी गोपालसिंह व उनके घरवालों ने बताया है। हमारे पूर्वजों ने बताया कि यह विवादित जमीन वादी गोपालसिंह ने खरीद ली है। किस प्रकार से व कितने रूपयों में खरीदी, मुझे पता नहीं। वादी गोपालसिंह के कहने पर मैं बयान देने आया हूं। मैं प्रतिवादी सं. 1 से 9 को नहीं जानता हूं। मेरी याददाश्त में कुण्ड व मकान पहले के बने हुए हैं और झोंपड़ा 5–6 साल पहले बनाया है। कुण्ड व मकान किसने बनाये हैं मुझे पता नहीं। वादी ने यह विवादित भूमि वादी ने जरिये बैनामा पैसे देकर खरीद की है जिससे गोपालसिंह वादी बना है। उक्त भूमि खरीदने के बारे में मुझे मेरे पिताजी उदारामजी ने बताया है। गवाह ने दिनांक 24.4.13 की लिखापढी के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। गवाह पेमाराम ने बयान दिया है कि विवादित भूमि मेरे खेत के अगुणी साईड में है मेरे खेत के सींवाजोड़ है। विवादित जमीन 35 बीघा है जिसकी खातेदारी किसके नाम से है मुझे पता नहीं है। मैंने इस भूमि पर वादी गोपालसिंह को काश्त करते देखा है। मैं अनपढ़ आदमी हूं। मैं प्रतिवादीगण को नहीं जानता हूं। इन सभी के कितनी भूमि हिस्से में आती है मुझे पता नहीं है। विवादित भूमि में एक मकान, एक झोंपड़ा व एक कुण्ड बना हुआ है। इसमें बिजली पानी का कनेक्शन नहीं है। झोंपड़ा 5–6 साल पुराना है जो वादी गोपालसिंह का बनाया हुआ है। झोंपड़े का मुंह दिखनादा है। प्रदर्श–1 की भूमि खातेदारान ने बेची हो, गोपालसिंह ने खरीदी हो, दिनांक 24.4.13 को लिखापढी करके काश्त करने हेतु वादी को दी हो तो मुझे पता नहीं है। मैं दिनांक 24.04.13 को लिखापढी के समय मौजूद नहीं था, न ही इसकी मुझे कोई जानकारी है। मैं आज वादी के कहने पर बयान देने आया हूं। यह सही है कि ख.नं. 759/374, 435 व 437 रोही खण्डवा पट्टा चूरू का नक्शा एक ही है। गवाह इन्द्रपालसिंह ने बयान किया है कि मैं वादी को जानता हूं। ख.नं. 435 की खातेदारी वादी के नाम से है ख.नं. 437 किसके नाम है मुझे पता नहीं। वादी के नाम ग्राम खण्डवा में 23 बीघा जमीन है काश्त 35 बीघा पर करते हैं। ख.नं. 437 में प्रतिवादी नाहरसिंह का 1/4 हिस्सा है मुझे पता नहीं है। दिनांक 24.04.13 को एक लिखत द्वारा ख.नं. 437 वादी को काश्त के लिए दिये हो तो मुझे पता नहीं है। यह कहना सही है कि मैं वादी के कहने पर बयान देने आया हूं।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन के बाद दावा का निस्तारण कायम की गई तनकियात् के अनुसार किया जाना उचित समझते हुए तनकीवार निर्णय किया गया:–

तनकी नं. 1 में अंकित है कि आया घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख.नं. 437 तादादी 12.00 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू का वादी खातेदार काश्तकार है ?

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर रहा है जिसके लिए वादी ने अपने दावा के संलग्न प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 दस्तावेज पेश किये है तथा साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 से PW-4 पेश किये है तथा वकील प्रतिवादी की गवाहों से जिरह करवाई जाकर सत्यापित करवाया है। वादी ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि ख.नं. 437 साबिक ख.नं. 139 मिन रोही ग्राम खण्डवा पट्टा चूरू पर पहले अपने पिता एवं पिता के स्वर्गवास के बाद लगातार अपना कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग बताते हुए वादगत कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने नाम से करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने का अनुतोष चाहा है जबकि उक्त वादगत ख.नं. 437 तादादी 12 बीघा रोही खण्डवा पट्टा चूरू की खातेदारी पहले प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण की खातेदारी में अंकित है। वादी द्वारा पेश प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 में से प्रदर्श–1 के अनुसार वादगत कृषि भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 में प्रतिवादीगण के पूर्वज खातेदार दर्ज हैं तथा मालजी वल्द मानजी कौम दरोगा उप कृषक अंकित है जबकि वादी के पिता का नाम मालजी वल्द चिमनजी रहा है। प्रदर्श–5 खसर. गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017 के कॉलम नं. 5 भूमि अधिकारी में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम तथा उपकृषक कॉलम नं. 6 में हीरा वल्द पूर्णगिरी उप कृषक अंकित हैं तथा सम्वत् 2014 से 2017 के कॉलम सं. 16, 24, 32, 40 में 12 बीघा पर वादी के पिता मालजी वल्द चिमनजी की काश्त अंकित है। प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022 से 2025 में खातेदारी में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम एवं उप कृषक के रूप में मालजी वल्द मानजी अंकित है जबकि वादी के बताये अनुसार उनके पिता का नाम मालजी वल्द चिमनजी रहा है। प्रदर्श–7 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 2021 में खातेदारी के कॉलम में प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी अंकित है तथा वादी के पिता मालजी वल्द चिमनजी का नाम उप कृषक के रूप में अंकित है। दूसरी तरफ प्रतिवादीगण ने दावा में अंकित तथ्यों से इन्कार करते हुए वादगत कृषि भूमि को दिनांक 24.04.13 को लिखापढ़ी करके काश्त करने के लिए 3600/– रूपयों में वादी को दिया जाना अंकित किया है। काश्त पर देने से वादी के मन में लालच आ गया है इसलिए उसने यह दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया होना बताया है। उपरोक्त प्रदर्शों के अवलोकन से वादगत कृषि भूमि पर वादी का अपने पिता के समय से आज तक निरन्तर कब्जा काश्त, उपयोग व उपभोग साबित प्रतीत नहीं होता। उक्त दस्तावेजात के अनुसार मात्र 3–4 वर्षों में वादी के पिता की काश्त रही है जिसके आधार पर वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है। वादी द्वारा पेश गवाहों ने भी अपने अपने बयानों में विरोधाभाषी तथ्य अंकित कराये हैं क्योंकि कोई गवाह वादगत कृषि भूमि पर पुराना कब्जा बताता है तो एक गवाह

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उक्त वादगत कृषि भूमि वादी द्वारा जरिये बैनामा खरीदशुदा बताता है। एक गवाह कहता है कि विवादित भूमि की खातेदारी किसके नाम से है मुझे पता नहीं है, वही गवाह आगे कहता है कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। एक गवाह ख.नं. 759/374, 435, 437 की समस्त भूमि का नक्शा एक ही होना बताता है जो कि प्रदर्श–2 के अनुसार पृथक होना दर्शित है। उक्त भूमि वादी को दिनांक 24.04.13 को लिखापढी करके प्रतिवादीगण द्वारा दिये जाने के बारे में गवाह कहता है कि इसके बारे में मुझे पता नहीं परन्तु आगे कहता है कि उक्त लिखापढी के समय मैं मौजूद नहीं था, लिखापढी पर अंकित साक्षियों को मैं नहीं जानता, परन्तु आगे कहता है कि यह मेरे गांव के निवासी हैं। इस प्रकार मात्र कथन करने के आधार पर वादी का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व से ही नहीं माना जा सकता। उक्त अधिनियम लागू होने के पूर्व एवं लागू होने के समय के साथ–साथ निरन्तर कब्जा काश्त होने का इस वाद में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिसके आधार पर वादी का कब्जा काश्त उक्त अधिनियम लागू होने से पहले का एवं लम्बे समय से होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में मात्र कुछ वर्षों की कब्जा काश्त के आधार पर रिकार्डेड खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त कर वादी को खातेदारी दिया जाना यह न्यायालय न्यायोचित नहीं मानता है। इस प्रकार तनकी नं. 1 को साबित करने में वादी असफल रहा है।

निर्णयः– तनकी नं. 1 को वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः तनकी नं. 1 वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 में अंकित है कि आया प्रतिवादी सं. 1 से 9 को जरिये चिरस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वे वादगत भूमि को किसी अन्य को रहन, बैय व हस्तान्तरण नहीं करें ?

तनकी नं. 2 को साबित करने का भार भी वादी पर रहा है जिसने वादगत कृषि भूमि पर अपने पिता के समय से आज तक निरन्तर अपना कब्जा काश्त अंकित करते हुए पुराने कब्जा काश्त के आधार पर अपने नाम से खातेदारी की घोषणा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 9 के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा चाही है परन्तु वादी वादगत कृषि भूमि पर पुराने समय से आज तक निरन्तर अपना काश्त होना साबित नहीं कर पाया है जिससे तनकी नं. 1 वादी के खिलाफ निर्णित हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 से 9 वादगत कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं इसलिए रिकार्डेड खातेदारों के विरूद्ध वादी चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधकारी नहीं है। तनकी नं. 2 वादी के खिलाफ प्रमाणित होती है।

निर्णयः– तनकी नं. 2 वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3 में अंकित है कि आया वादगत भूमि के सभी हितबद्ध पक्षकार को पार्टी नहीं बनाया जाने से दावा नॉन ज्योईन्डर ऑफ नेशेसरी पार्टीज के नुक्श में खारिज योग्य है ?

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तनकी नं. 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है जिन्होंने अपने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम के जरिए वादी द्वारा वादगत कृषि भूमि के समस्त हितबद्ध पक्षकारों को दावा में पार्टी नहीं बनाया जाने से दावा वादी खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है परन्तु प्रतिवादीगण ने छूट गये पक्षकारों के सम्बन्ध में कोई जानकारी या विवरण पेश नहीं किया है तथा ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है जिससे यह पता चलता हो कि अमुक पक्षकार छूट गये हैं। वादी ने अपनी जानकारी मालूमात के आधार पर समस्त पक्षकारों को पार्टी बनाया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दावा की मूल तनकी नं. 1 वादी के खिलाफ निर्णित होने से तनकी नं. 3 का कोई महत्व नहीं रह जाता है। प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य भी पेश नहीं किये हैं। इस प्रकार तनकी नं. 3 प्रतिवादीगण साबित करने में असफल रहे हैं।

निर्णयः– तनकी नं. 3 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4 में वर्णित है कि आया वादगत भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से कब्जे काश्त व खातेदारी की होने से दावा वादी काबिल खारिज है ?

तनकी नं. 4 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादीगण पर रहा है जिन्होंने अपने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर वादगत कृषि भूमि को अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त व खातेदारी का होना अंकित किया है जो कि दावा पर पेश दस्तावेजात से प्रमाणित होता है। वादी द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 के अनुसार वादगत कृषि भूमि पहले प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में अंकित है एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण के स्वयं की खातेदारी में अंकित हैं। हालांकि प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किये हैं परन्तु उक्ता दस्तावेजात से वादगत कृषि भूमि पर खातेदारी व कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का ही साबित होता है। अतः तनकी नं. 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रमाणित होती है।

निर्णयः– तनकी नं. 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अन्य अनुतोष :– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय

तनकी नं. 1 व 2 व 4 वादी के खिलाफ निर्णित होने से दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू